आवश्यक/बैठक/समयबद्ध

संख्या: 66/2017/3702/12-2-2017-एस.85/2008

प्रेषक,

पवन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 06 अक्टूबर, 2017

विषय: रबी अभियान 2017-18 के अन्तर्गत अधिक फसलोत्पादन के लिए मण्डलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 63/2017/3404/12-2-2017-एस.85/2008 दिनांक 22 सितम्बर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में मण्डलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी के आयोजन की सूचना दी गयी है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 को जनपद गोण्डा में आयोजित होने वाली बस्ती एवं देवीपाटन मण्डलों की रबी उत्पादकता गोष्ठी संशोधित कार्यक्रमानुसार अब दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 को एवं दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 को जनपद झांसी में आयोजित होने वाली चित्रकूट एवं झांसी मण्डलों की रबी उत्पादकता गोष्ठी संशोधित कार्यक्रमानुसार अब दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 को आयोजित की जायेगी।

3. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली रबी उत्पादकता गोष्ठियों में कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अनुपलब्धता की स्थिति में गोष्ठियों का आयोजन संबंधित मण्डलों के मण्डलायुक्तों की अध्यक्षता में किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. रबी गोष्ठी की तिथियों में परिवर्तन मा0 मुख्य मंत्री जी/मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के मण्डलों में भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत ही किया जा सकेगा अन्यथा यथासमय-यथास्थान की जायेगी।

5. कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या: 66/2017/3702(1)/12-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई/गन्ना/सहकारिता/ऊर्जा/राजस्व/संस्थागत वित्त/समन्वय/लघु सिंचाई/ग्राम्य विकास/पंचायती राज/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/पशुपालन/मत्स्य/दुग्ध विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2.कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद/कानपुर/मेरठ/डीम्ड विश्वविद्यालय, इलाहाबाद/बांदा द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3.आयुक्त, ग्राम्य विकास/गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4.अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5.परियोजना समन्वयक, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, लख्नऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6.आयुक्त एवं निबंधक, सहकारी समितियॉं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7.प्रशासक, शारदा सहायक राम गंगा समादेश, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8.निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/पशुपालन/पंचायती राज विभाग/कृषि विज्ञान संस्थान/वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी/राज्य ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ/राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेडा, लखनऊ/उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

9.प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम/कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ/उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम/भूमि सुधार निगम/कोआपरेटिव बैंक लि0/यू0पी0स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

10.प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, जवाहर भवन, लखनऊ/सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/मुख्य अभियन्ता, नलकूप पूर्व/पश्चिम विक्टोरिया पार्क, मेरठ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

11.महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

12.सामान्य प्रबंधक, जनरल इन्श्योरेंस कारपोरेशन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13.क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम, पानदरीबा, चारबाग, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

14.निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवगतार्थ।

15.निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन को कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के अवगतार्थ।

16.समस्त संयुक्त/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

17.समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

18.कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि रबी गोष्ठी के आयोजन की सूचना अपने स्तर से समस्त संबंधित को तत्काल प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

19.सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

20.निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

21.निजी सचिव, मा0 राज्य मत्री, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।